वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषकः–

परीक्षा नियंत्रक,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

पत्रांकः–1928/परीक्षा/2022

दिनांक : 03.9.2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर ।

विषयः– परीक्षा आवेदन फार्म में भरे गये विषयों से इतर विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के विषय संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म में भरे गये विषयों से इतर विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों का विषय संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.08.2022 के द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:–

...जिन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आवेदन फार्म भरे गये विषयों से इतर विषयों की परीक्षा में छात्र सम्मिलित हुए है उनके केन्द्राध्यक्षों पर रु0 1000/– प्रति छात्र की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। अर्थदण्ड जमा होने के उपरान्त ही विषयों में संशोधन/परिवर्तन किया जायेगा।...

अतः उक्त से अवगत होते हुए परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 में लिए गये निर्णय के आलोक में अपने महाविद्यालय में संचालित समस्त विषयों में विषय संशोधन हेतु प्रति छात्र रु0 1000/–(रु0 एक हजार मात्र) की दर से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करने के उपरान्त ही संशोधन किया जायेगा, तथा इसके साथ संबंधित महाविद्यालय के केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया जायेगा कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी छात्र का संशोधन लम्बित नहीं है। आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2022 तक ही स्वीकार किये जायेंगे। उसके पश्चात किसी भी दशा में आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 प्रभारी, एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2 वरिष्ठ आशुलिपिक कुलपति को, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3 आशुलिपिक वित्तअधिकारी को, वित्तअधिकारी जी को सूचनार्थ।
4 आशुलिपिक कुलसचिव को, कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
5 अधीक्षक, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय।

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा)